

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- | | |
|---|---|
| 1. <u>अपील संख्या-2000 / 2008 / जयपुर</u> | 2. <u>अपील संख्या-2001 / 2008 / जयपुर</u> |
| 3. <u>अपील संख्या-2002 / 2008 / जयपुर</u> | 4. <u>अपील संख्या-2003 / 2008 / जयपुर</u> |
| 5. <u>अपील संख्या-2004 / 2008 / जयपुर</u> | 6. <u>अपील संख्या-773 / 2009 / जयपुर</u> |
| 7. <u>अपील संख्या-2010 / 2010 / जयपुर</u> | 8. <u>अपील संख्या-2011 / 2010 / जयपुर</u> |
| 9. <u>अपील संख्या-1718 / 2013 / जयपुर</u> | |

मैसर्स पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग प्रा० लि०,
एफ-549, वीकेआईए, रोड नं. 6, जयपुर।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन प्रथम, राजस्थान, जयपुर।

.....प्रार्थी

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

.....अप्रार्थी की ओर से.

दिनांक : 13.10.2017

निर्णय

1. यह नौ अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ/तृतीय/द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 22, 55 एवं 61 के तहत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं. एवं आ.दि.	क.नि.वर्ष	क.नि.अ. की आदेश दिनांक	सर्वेक्षण दिनांक	सृजित मांग राशि
2000/08	05/31.05.08	06-07 (4.12.06 से 31.12.06)	10.09.07	15.06.07	51,98,661
2001/08	112/31.05.08	06-07 (1.1.07 से 31.03.07)	10.09.07	15.06.07	1,44,82,357
2002/08	113/31.05.08	07-08 (1.4.07 से 30.6.07)	15.09.07	15.06.07	1,38,83,694
2003/08	114/31.05.08	07-08 (1.7.07 से 30.09.07)	22.11.07	05.10.07	1,68,90,027
2004/08	192/31.05.08	07-08 (1.10.07 से 31.12.07)	11.12.07	16.01.08	1,43,29,116
773/09	104/02.03.09	07-08 (1.01.08 से 31.03.08)	09.06.08	08.05.08	1,95,51,663
2010/10	54/06.07.10	05-06 (1.04.05 से 31.03.06)	29.03.08	-	20520828
2011/10	55/06.07.10	(1.04.08 से 30.06.08)	27.10.08	-	14632771
1718/13	86/27.05.13	08-09	21.03.11	06.05.08	19014994


1. A

115

लगातार.....2.

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. उक्त समस्त प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभिन्न दिनांकों को निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। व्यवहारी के व्यवसाय से सम्बन्धित लेखा पुस्तकों/रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया गया कि उसके द्वारा लेज चिप्स, अंकल चिप्स का व्यवसाय किया जाता है। आलौच्य अवधियों में उसके द्वारा उक्त वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया, जबकि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व बनता है। अतः कम कर दर चुकाने के कृत्य को करापवंचन मानते हुए निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के विरुद्ध अंतर कर, ब्याज व शास्तियां आरोपित की गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनको अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह समस्त अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।
4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उसका उत्पाद लेज एण्ड अंकल चिप्स व पोटेटो चिप्स अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है, जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे उक्त प्रविष्टि के तहत न मानकर अनुसूची V में मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी है तथा 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर की राशि, शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया, जिसे अवैध बताते हुए तर्क किया कि उसका उत्पाद प्रोसेस्ड वेजिटेबल है तथा फ्रूट जैम, जैली, अचार आदि को उक्त प्रविष्टि के अनुसार प्रोसेस्ड फूड में माना गया है तो उसके द्वारा उत्पादित पोटेटो चिप्स Valid भी preserved vegetables होने से प्रविष्टि संख्या अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है एवं तदानुसार ही अपीलार्थी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाकर जमा कराया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जो निम्न प्रकार हैं:-

- (1) The High Court Guwahati Pepsico India Holding Pvt. Ltd. Vs The State of Assam Dated 28.04.2009.
- (2) High Court of Uttarakhand Ms Shriya Enterprises Vs Commissioner, Uttarakhand Dehradun Dated 20.10.2011
- (3) High Court of Punjab & Haryana Ms Pepoico India Holdings Pvt. Ltd. Vs The State of Punjab dated 18.05.2010
- (4.) High Court of Madras Pepsico India Holdings Pvt. Ltd. Vs Commissioner of Commercial Taxes Dated 10.11.2009
- (5) Before the Commercail Taxes Tribunal Ranchi Ms Pepsico India Holdings Pvt. Ltd. Vs State of Jharkhand Dated 24.02.2015



लगातार.....3.

(6) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 428/2004/जयपुर सहायक आयुक्त बनाम मैसर्स अंकल चिप्स कम्पनी प्रा०लि०, जयपुर दिनांक 18.01.2005


(7) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2059/2007/जयपुर मैसर्स पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा०लि०, जयपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, जयपुर दिनांक 16.05.2008 सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आंध्रप्रदेश, हैदराबाद द्वारा अपील संख्या 431/2007 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2007

उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि आंध्रप्रदेश वेट अधिनियम, 2005 की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 भी अधिनियम के अनुरूप है एवं उक्त निर्णय में आंध्रप्रदेश सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने पोटेटो चिप्स को प्रोसेस्ड वेजिटेबल माना है। व्यापार एवं उद्योग जगत, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि संगठन आदि ने पोटेटो चिप्स को प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स की श्रेणी में रखा गया है। प्रविष्टि संख्या 131 से ब्राण्डेड चिप्स को अलग करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उक्त वस्तु अवशेष (Residuary) श्रेणी में आती है। निर्धारण अधिकारी ने पोटेटो चिप्स को नमकीन अथवा सिनेक्स (Snakes) की श्रेणी में मानकर भूल की है। व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण पत्र तथा उत्पाद के पैकिंग पर प्रोसेस्ड वेजिटेबल अंकित नहीं है। Including शब्द Restrictive है, अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रह है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 199/2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 में अभिनिर्धारित किया है कि पोटेटो चिप्स Processed Vegetable की श्रेणी में आने से अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये :-

1. Bharat Forge and Press Industries (P) Limited Vs Central Excise [(1990) 1 SCC 532]
2. Eskayf Limited Vs Collector of Central Excise [(1990) 4 SCC 680]
3. Dunlop India Limited Vs Union of india (1976) 2 SCC 241
4. Commissioner of Sales Tax, M.P., Indore Vs Jaswant Singh Charna Singh [19 STC 469 (SC)]
5. Ravi Agencies Vs State of Andhra Pradesh [74 STC 187]
6. IT Commr. A.P. Vs Taj Mahal Hotel [AIR 1972 SC 168]
7. Commercial Tax Officer Vs Rajasthan Taxchem Limited [2007] 5 VST 529 (SC)

इसके अतिरिक्त धारा 55 में आरोपित ब्याज व धारा 61 में आरोपित शास्ति को अविधिक बतलाते हुए उन्हें अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी एवं निर्धारण अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि आन्ध्रप्रदेश के वेट अधिनियम व राजस्थान वेट अधिनियम की प्रविष्टियों में एक





लगातार.....4.

समानता नहीं है आन्ध्रप्रदेश Sales Tax Apply का निर्णय दिनांक 04.07.2007 वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में Unbranded Potato Chip को सम्मिलित किया है जिसपर बिक्री की दर 4 प्रतिशत है जिसका यह आशय है कि विधायका Potato Chip को केवल इसी प्रविष्टि में रखना चाहती है। विधायका द्वारा Branded Potato Chip को वेट अधिनियम की अनुसूची IV से पृथक किया गया है यदि विधायका का यह आशय नहीं होता तो अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में Potato Chip के संबंध में Unbranded शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे यह स्पष्ट है कि Branded Potato Chip को अनुसूची IV की अवशेष (residual) वस्तुओं के अन्तर्गत आता है। इसलिये Branded Potato Chip पर विधायका का 4 प्रतिशत की दर से करारोपण का आशय नहीं है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।


7. उभयपक्षीय बहस, रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी फर्म लेज चिप्स, अंकल चिप्स आदि की बिक्री का व्यवसाय करती है। समस्त माल राजस्थान राज्य के बाहर से आयात कर विक्रय किया जाता है। पोटेटो चिप्स के बिन्दु पर कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 640 से 644/09 एवं 572/09/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड, दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड, सी स्कीम, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन जो न तृतीय, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत S.B. Sales revision No 199/2009 पोप्सिको इण्डिया होल्डिंग्स प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 के आधार पर निम्न निष्कर्ष दिया गया है:-

".....अपीलार्थी द्वारा पोटेटो चिप्स (Bingo) का विक्रय किया है तथा अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया है जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 131 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 12.8 प्रतिशत मानकर कर का आरोपण किया है।

8. इस क्रम में अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 एवं 131 को यहां उद्धरित किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :-

"107. Processed or preserved vegetables and fruits, unbranded pickle whether sold in sealed containers or otherwise, fruit squash and fruit juice when sold loose, sharbat and thandai.

"131. Sweetmeat deshi (including Gajak & Revari) branded bhujaya made of pulses, and unbranded namkeens (including dried potato chips.)"



..


लगातार.....5.

9. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199/2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 के पैरा संख्या 19, 20, 22 एवं 25 के अनुसार-

- (19) After analyzing the judgment referred to here in before, in my view, it cannot be disputed that Potato is a vegetable and after going through the process of slicing, frying and spicing, "Potato Chips" does not cease to be a vegetable. It is irrelevant as to whether it becomes a snack item or not, but then it does not take a snack item outside the entry of Processed Vegetables of Potato does not change and merely because by processing Potato, "Potato Chips" are produced manufactured, will certainly remain as Potato and would be a "Processed Vegetable."
- (20) Material is available the Ministry of Food Processing Industry has understood processing of Potato Wafers or Chips as vegetable Processing Industry and even the Govt. of India has understood "Potato Chips" to be a vegetable Product for the purposes of classification under the Central Excise Tariff Act.
- (22) Analysing the above, "Potato chips" can certainly be taken within the definition of 107 taking within its compass all other species including "Potato chips" belonging to the common genus of the Processed Vegetables', and if any particular item is classifiable under a specific entry in Schedule, such item commodity must not be relegated to the Residuary or entry. Even if common parlance test is applied, it can always be noticed that it would certainly fall within the category of Processed vegetables'.
- (25) In the light of this fact that in the earlier assessment years for the same product the claim of Revenue was accepted by this court to fall 'Potato Chips' in the category of 'Preserved Food Articles', and now when the assessee claims to be falling in the category of 'Processed Vegetables', which in my opinion, is identical, different view cannot be taken and even the Revenue ought not to have taken divergent view on the same product in the different assessment year.


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि व्यवहारी का Potato Chips को Processed Vegetables की श्रेणी में आने का Claim उक्त समान उत्पादों में पूर्व में अन्य प्रकरणों में राजस्व के उस Claim के समान है कि Potato Chips 'Preserved Food Articles' की श्रेणी में आता है और पूर्व के प्रकरणों में राजस्व के उक्त Claim को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उपरोक्त समस्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के इस न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199/2009 से पूर्णतया आच्छादित है एवं इसमें Potato Chips को अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 में माना गया


लगातार.....6.



है। अतः समान तथ्यों पर आधारित उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार ब्रांडेड पोटेटो चिप्स अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है। जिसकी कर दर 4 प्रतिशत है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त नौ अपीलों को स्वीकार किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है तथा ब्रांडेड पोटेटो चिप्स अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आने से कर दर 4 प्रतिशत अवधारित की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जायें।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष